



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2018/आश्विन 13, 1940

No. 708]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

संचार मंत्रालय

(बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2018

**सा.का.नि. 996(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-**

**"2. लागू होना.**—ये नियम 302 से 435 किलोहर्ट्ज, 855 से 1050 किलोहर्ट्ज और 1.89 से 2.31 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे"।

**3. उक्त नियम में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-**

**"3. परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

(घ) "क्षेत्र तीव्रता" से रेडियो संकेत की विद्युत क्षेत्र तीव्रता (डेसीबल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर) या चुम्बकीय तीव्रता (डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर) अभिप्रेत है।

4. उक्त नियमों में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"4. छूट.—**तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर 302 से 435 किलोहर्ट्ज , 855 से 1050 किलोहर्ट्ज और 1.89 से 2.31 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में प्रेरणिक उपयोजनों के लिए (बेतार चार्जिंग आदि), अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात्:-

#### **सारणी तकनीकी लक्षण**

क्र.सं.	आवृत्ति रेंज	अधिकतम क्षेत्र तीव्रता सीमाएं
1	302 से 435 किलोहर्ट्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर
2	855 से 1050 किलोहर्ट्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर
3	1.89 से 2.3 मेगाहर्ट्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि जहां विमानवाहित युक्तियों या अनुप्रयोगों के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. आर-11019/01/2018-पीपी]

**मकरंद पाठक, सहायक बेतार सलाहकार**

**टिप्पण.—** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 697(अ), तारीख 16 सितंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(Wireless Planning and Coordination Wing)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2018

**G.S.R. 996(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015, namely:

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted namely: -

**“2. Application.**— These rules shall be applicable in the 302 to 435 KHz, 855 to 1050 KHz and 1.89 to 2.31 MHz frequency bands.”.

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted namely: -

**“3. Definition.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

(d) “Field Strength” means Electric field strength (dB $\mu$ v/m) or Magnetic strength (dB $\mu$ A/m) of the radio signal.”.

4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted namely: -

**“4. Exemption.**—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (wireless charging etc.) in the 302 to 435 KHz, 855 to 1050 KHz and 1.89 to 2.31 MHz frequency bands on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Field Strength Limits as specified in the Table below, namely :-

**TABLE**  
**Technical Characteristics**

S.No.	Frequency Range	Maximum Field Strength Limits
1	302 to 435 KHz	-15 dB $\mu$ A/m (H-Field Strength) at 10 metres
2	855 to 1050 KHz	-15 dB $\mu$ A/m (H-Field Strength) at 10 metres
3	1.89 to 2.3 MHz	-15 dB $\mu$ A/m (H-Field Strength) at 10 metres

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply:

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.”.

[No. R-11019/01/2018-PP]

MAKRAND PATHAK, Assistant Wireless Adviser

Note. — The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, v Notification number G.S.R. 697(E), dated the 16th September, 2015.